

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
River Management Co-ord. Dte.

दिनांक: 07/10/2022

सेवा में,

श्री किशोर समरिते,
Ex-MLA, लंजी तहसील लंजी,
जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश, PIN-481222.

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री किशोर समरिते, मध्य प्रदेश, के आवेदन पत्र - के सम्बंध में ।

महोदय,

आपके RTI आवेदन पत्र Reg.No. CWCND/R/T/22/00163, दिनांक 22.09.2022, स्थानांतरण से अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, RTI Cell, सेवा भवन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, पत्र सं: A-49012/8/2022/RTI/383, दिनांक 23.09.2022, ई-मेल, दिनांक **23.09.2022** द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

इस संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएँ के जानकारी, नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप RTI Act, 2005 के तहत इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपील कर सकते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

निदेशक (न.प्र.स.नि.) और प्रथम अपीलिय प्राधिकरण, नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग, दूसरी मंजिल (दक्षिण), सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066, फोन नंबर 011-29583211.

भवदीया

(वि. कुमारी)

उप निदेशक & CPIO

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, आर.टी.आई सेल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

द्वितीय तल(दक्षिण), सेवा भवन
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -66
दूरभाष: 011-29583211,
ई मेल: rmdte@nic.in

♣ जल संरक्षण सुरक्षित भविष्य ♣



2nd Floor(S), Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Tel: 011-29583211,
E-mail: rmdte@nic.in

♣ Conserve Water- Save Life ♣

